

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा / 218 / 2019

तारीख रजु 19.12.2019

उनवान

मानसिंह पुत्र गंगाविशन जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन, तहसील हिण्डौन जिला करौली —————वादी

बनाम

गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली, वगैरह निवासी जाट की सराय हिण्डौन, तहसील हिण्डौन जिला करौली —————प्रतिवादी (04)

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- श्री श्यामलाल शर्मा एडवाकेट।


प्रतिवादी की ओर से :-कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 03.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी ओर कस्बा हिण्डौन के खसरा नंबर 1405/3 के संबंध में एक दावा पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादी वकील द्वारा दिनांक 03.01.2020 को निवेदन किया कि वाद नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा 218/2019 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

